भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *364
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेनेरिक दवाएं

***364. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज कंपनियों द्वारा विनिर्मित जेनेरिक दवाएं दवा विक्रेताओं द्वारा इस दावे के साथ बेची जा रही हैं कि वे नैतिक मानक आधारित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रोगियों को जेनेरिक और नैतिक मानक आधारित दवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए कोई तंत्र/प्रणाली विकसित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भेषज कंपनियों को किसी भी जेनेरिक संघटक (कंपोजीशन) को दोबारा पेटेंट कराने की अनुमति दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भेषज कंपनियां अपने ब्रांड को तीव्रता से बढ़ावा देने और इसे चिकित्सक द्वारा नुस्खे के रूप में निर्धारित कराने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों और पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (आरएमपी) से संपर्क करती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जेनेरिक दवाओं" के संबंध में श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 20.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *364 (4वां स्थान) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): जी, हां। सरकार ने सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की है। इस योजना के तहत, ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50%-80% किफायती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए देश भर में जन औषधि केंद्र (जेएके) नामक समर्पित आउटलेट खोले गए हैं। दिनांक 30.11.2024 तक देश भर में कुल 14,320 जेएके खोले गए हैं। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाओं और 300 सर्जिकल/उपकरणों को उत्पाद टोकरी में शामिल किया गया है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी, गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल दवाएं, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। यह अनुमान है कि दैनिक आधार पर 10-12 लाख उपभोक्ता देश भर में फैले 14300 से अधिक जन औषधि केंद्रों से दवाओं की खरीद करते हैं। पिछले 10 वर्षों में, जेएके के माध्यम से 6462 करोड़ रुपये की दवाओं की बिक्री की गई है। इससे ब्रांडेड दवाओं की तुलना में नागरिकों को अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

(ख): सरकार विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो विज्ञापन, टीवी विज्ञापन, सिनेमा विज्ञापन और आउटडोर प्रचार जैसे होर्डिंग्स, बस क्यू शेल्टर ब्रांडिंग, बस ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग आदि के माध्यम से पीएमबीजेपी की विशेषताओं और जन औषधि जेनेरिक दवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता सृजित कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से नियमित रूप से जन औषधि जेनेरिक दवाओं के लाभों के बारे में जनता को शिक्षित कर रही है।

(ग): उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत, प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है तथा पेटेंट की अवधि उक्त प्रौद्योगिकी पर आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष होती है। किसी जेनेरिक संरचना को पुनः पेटेंट कराने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

(घ): सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों/पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों (आरएमपी) और मेडिकल प्रतिनिधियों के बीच बातचीत को विनियमित करने के लिए, औषध विभाग ने दिनांक 12.03.2024 को औषध विपणन कार्यकलाप संबंधी एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी), 2024 को अधिसूचित किया। यह संहिता विनिर्माताओं और वितरकों द्वारा सभी सूचनात्मक और प्रेरक गतिविधियों को बढ़ावा देने की अनुमति देती है, जिससे वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य

सभा द्वारा समर्थित 'चिकित्सीय दवा संवर्धन संबंधी नैतिक मानदंड' के अनुसार चिकित्सा दवाओं के पर्चे, आपूर्ति, खरीद और/या उपयोग को प्रेरित करने पर प्रभाव डालना है। इसके अलावा, यह संहिता औषधियों को नैतिक रूप से संवर्धन देने और औषध कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन पद्धतियों संबंधी शिकायतों का निपटान करने के लिए अनुमेय और गैर-अनुमेय व्यावसायिक व्यय को दर्शाती है। यह दवा उद्योग और स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सकों के बीच बातचीत को नियंत्रित करती है, जिसमें यूसीपीएमपी 2024 में यथानिर्धारित वक्ताओं को मानदेय भुगतान और स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सकों को मुफ्त नमूने प्रदान करने जैसे वैध व्यावसायिक कार्यकलापों पर व्यय करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के तहत गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियमावली, 2002 में औषध और संबद्ध स्वास्थ्य उद्योग के साथ चिकित्सकों और चिकित्सकों के व्यवसायिक संघ के संबंधों के आचरण का प्रावधान है।

*****